प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (PMMY)

१. प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्त वर्ष २०१६ के बजट में की थी। मुद्रा का पूरा नाम है – माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लि.। 'मुद्रा' शीर्ष स्तर पर स्थापित एक वित्तीय संस्था (नोडल एजेंसी) है| मुद्रा ऋण योजना का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं (बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं आदि) के माध्यम से लघु उद्योगों और छोटे प्रतिष्ठानों को ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत तीन स्तरों पर इन प्रतिष्ठानों को रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। मुद्रा इन संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगी|

- शिशु : इस स्तर पर 'मुद्रा' लघु उद्योगों को ५० हजार रु. तक की राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराएगी।
- किशोर : इस स्तर पर 'मुद्रा' ५० हजार रु. से लेकर ५ लाख रु. तक की राशि का कर्ज उपलब्ध कराएगी।
- तरुण : अंतिम स्तर पर 'मुद्रा' ५ लाख रु. से लेकर १० लाख रु. तक की राशि का कर्ज उपलब्ध कराएगी|

२. ऋण कहाँ से प्राप्त करें

मुद्रा ऋण के लिए किसी भी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC), सूक्ष्म वित्तीय संस्था (MFI) की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं|

२. मुद्रा ऋण योजना के लाभ

- ब्याज रियायती दर पर उपलब्ध रहेगा। ब्याज दर का निर्धारण ऋण देने वाली वित्तीय संस्था करेगी।
- आसानी से उपलब्ध
- **No collateral Security required :** इस योजना के अन्तर्गत जिस सम्पति पर ऋण दिया जा रहा है, सिर्फ उसे ही अमानत के रूप में माना जाएगा। इस संपत्ति के अलावा अमानत के रूप में (जमीन, मकान इत्यादि) गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

३. मुद्रा ऋण योजना के उद्देश्य

- सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना।
- कम आय समूहों के व्यवसाय को गठित करने और उनके विकास में मदद करना।

  इस प्रकार 'मुद्रा' का उद्देश्य छोटे उद्योगों को आसानी से वित्त मुहैया कराना और इसके लिए जारी नीति निर्देशों का पालन कराना है।

४. किन व्यक्तियों को ऋण मिलेगा

मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने के सभी उद्योगों जिन्हें वित्त की आवश्यकता है, पात्र हैं। मालिकाना हक वाले एवं साझेदारी संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र हैं।

सभी लघु उद्योग और निर्माण इकाई, जैसे खाद्य सेवाएं, सब्जियों और फल विक्रेता, हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर्स, यातायात सेवाएं, मरम्मत दुकानें, स्व सहायता समूह, हाकर्स, कलाकार और अनेक अन्य पेशेगत और सेवा प्रदाता विभिन्न श्रेणियों के अनुसार १० लाख रु. तक के ऋण के हकदार हैं।

योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं है| यदि ऋण प्रस्ताव सरकार की किसी योजना से संबद्ध हो, जिसमें सरकार पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, तब भी वह प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत पात्र होगा|

५. आवश्यक दस्तावेज

निम्न दस्तावेज मुद्रा लोन आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होंगे :-

- स्व प्रमाणित पहचान पत्र (वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि)
- निवासी प्रमाण पत्र (नवीनतम टेलीफोन बिल/बिजली बिल/वोटर आईडी/आधार कार्ड/बैंक स्टेटमेंट/पासपोर्ट आदि)
- आवेदक के २ नवीनतम फोटोग्राफ्स
- मशीनरी/खरीदी जाने वाली अन्य सामग्री का कोटेशन
- पहचान का सबूत/व्यावसायिक प्रतिष्ठान का पता, सम्बंधित लाइसेंस की प्रतियां/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज जो कि व्यवसाय के मालिकाना हक और पते की पहचान से संबंधित हों।
- जाति की श्रेणी का सबूत जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक आदि, (यदि लागू हो)

६. ऋण की शर्तें

- ऋणदाता संस्था द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी की व्यवस्था ऋण प्राप्तकर्ता को करनी होगी।
- ऋण की राशि का पुनर्भुगतान ३ से ५ वर्षों में करना होगा।

७. मुद्रा बैंक हेल्पलाइन

मुद्रा उत्पादों की जानकारी के लिए और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदक निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकता है :-

Name	Designation	Telephone no.	Email id
Shri Jiji Mammen	MD & CEO	(D) 022 – 26540028	jijimammen@mudra.org.in ceo@mudra.org.in
Shri. S. Srinivasan	DGM	022-67221506	ssvasan@mudra.org.in
Shri R.B.Rahate	AGM	022-67221507	rahate@mudra.org.in
Sh. PSN Murthy	AGM	022-67221405	psnmurthy@mudra.org.in
Sh. S. Kannan	Mgr	022-67531226	kannan@mudra.org.in
Shri Mayadhar Behera	Mgr	022-67531129	mayadhar@mudra.org.in

Shri C R Sadagoban	DGM (Systems)	022-67531271	sadagopan@mundra.org.in
Shri. Nikhil Gupta	AM	022-67531265	nikhilg@mudra.org.in
Ms. Sweta Nagwekar	AM	022-67221494	swetan@mundra.org.in
Smt. Latha Radhakrishnan	PS	022-67221465	latha@mundra.org.in

Disclaimer :

यह जानकारी **www.mudra.org.in** तथा **www.caknowledge.in** तथा अन्य स्रोतों से समेकित की गई है इसका उद्देश्य सामान्य जन को इस योजना की जानकारी प्रदान करना है| विस्तृत जानकारी टोल फ्री न. १८०० १८० ११११ या १८०० ११ ०००१ से प्राप्त की जा सकती है| किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास के लिए गोयल चैरिटीज एसोसिएशन उत्तरदायी नहीं है|